न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/गैगेस्टर कोर्ट, रायबरेली।

फौजदारी वाद संख्या 217/12
उ0प्र0 राज्य बनाम अवधेश पासी आदि
23.11.2019

पत्रावली पेश की गयी।

पत्रावली अभियुक्तगण अवधेश पासी आदि के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 जा0 फौ0 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में अभियुक्तगण अवधेश पासी एवं सुनील लोध के विरूद्ध मुकदमा अप0 सं0 1103/10 धारा 376, 342, 120बी भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना खीरो जिला रायबरेली दर्ज है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उसका कोई गिरोह नहीं है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि गैंग चार्ट में दर्शित एक मात्र मुकदमा अपराध संख्या 1103/10, जिसके आधार पर यह गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है, वह दिनांक 17.11.2011 को दोष मुक्त हो चुका है। निर्णय की छाया प्रति संलग्न की गयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठे तथ्यों व आधारों पर यह मुकदमा विलम्ब से दर्ज कराया गया है। उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। इन व अन्य आधारों पर अभियुक्त्गण को उक्त अपराध के आरोप से उन्मोचित करने के लिये निवेदन किया गया है।

लोक अभियोजक द्वारा इस आधार पर प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया कि इस स्तर पर अभियुक्तगण को कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। मात्र केस डायरी में उपलब्ध आधार पर यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है या नहीं। अभियुक्तगण द्वारा गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित पीड़िता मोहनी के साथ बलात्कार जैसा समाज विरोधी कृत्य किया गया है। केस डायरी में आरोप विरचित किये जाने हेतु

पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष खीरो श्री जानकी प्रसाद वर्मा द्वारा द्वारा अभियुक्तगण सुनील लोध एवं अवधेश पासी के विरूद्ध प्राथमिकी जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर दिनांक 2.1.2011 को थाना खीरों जिला रायबरेली पर अन्तर्गत धारा 2/3 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर सुनील कुमार लोध है तथा अवधेश पासी इसका सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर नाबालिग लड़की कु0 मोहनी उम्र 15 वर्ष के साथ एक कमरे में बन्द कर जबरन बलात्कार किया गया, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सं0 1103/10 धारा 376, 354, 342, 120बी भा0 दं0 सं0 व 3(2)(5) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट पंजीकृत है और इस मामले में आरोप पत्र भी क्षेत्राधिकारी रायबरेली द्वारा प्रेषित किया गया । अभियक्त्गण के आतंक से गांव की महिलाओं और लड़कियों ने घर से निकलना बन्द कर दिया है। इनका कृत्य अध्याय 16, 17 एवं 22 भा0 दं0 सं0 में वर्णित अपराध के तहत दण्डनीय अपराध है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत उन्मोचन के निस्तारण के स्तर पर विधिक प्रावाधानानुसार में अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाना है, बल्कि इस स्तर पर प्राथमिकी, केस डायरी तथा पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को देखा जाना है तथा लोक अभियोजक व अभियुक्तगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना है।

उन्मोचन प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह उल्लेख किया गया कि मुकदमा अपराध संख्या 1103/10 दिनांक 9.11.2010 को धारा 354 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(11) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना खीरों में पंजीकृत करायी गयी थी तथ दौरान विवेचना धारा 342, 376, 120बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। इससे यह स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या 1103/10 की विवेचना के

दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1103/10 के वादी मुकदमा तेज नरायन की लड़की मोहिनी के साथ बलात्कार करने का साक्ष्य पाये जाने पर सुसंगत धारा 376, 342, 120बी भा0 दं0 सं0 एवं 3(2)(5) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। बलात्कार/सामूहिक बलात्कार जैसा जघन्य अपराध अध्याय 16 भा0 दं0 वि0 में वर्णित जघन्य अपराध है तथा समाज विरोधी कृत्य है।

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जानकी प्रसाद वर्मा, कां0 संगम लाल, कां0 प्रकाश चन्द्र यादव, हेड मो0 राम बदन ने अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर कु0 मोहनी उम्र 15 वर्ष के साथ कमरे में बन्द कर बलात्कार करने के बाबत अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में कहा है। मुकदमा अपराध संख्या 1103/10 तेज नरायन द्वारा इस आशय की दर्ज करायी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी नाबलिग लड़की कु0 मोहनी उम्र 15 वर्ष के साथ बलात्कार किया गया।

लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभिलेख में उपलब्ध केस डायरी के प्रकाश में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.11.2013 निरस्त किये जाने योग्य है एवं उनके विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 विचरित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अवधेश पासी एवं सुनील लोध का प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.11.2013 निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 18.12.2019 को पेश हो।

(अरूण कुमार मल्ल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।